निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर ग्रामीण

प्रकरण संख्या : 221/2024 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

अमरचन्द पुत्र हनुमान जाति कुमावत निवासी ढाणी नागान, तहसील जोबनेर जिला जयपुर।

प्रार्थीगण

बनाम

1. श्री मुकुट सिंह आर ए एस पीठासीन अधिकारी उपखण्ड अधिकारी जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण।
2. रामचन्द्र पुत्र गुल्ला जाति कुम्हार (प्रजापति) कुमावत निवासी ढाणी नागान तहसील जोबनेर जिला जयपुर ग्रामीण ।

अप्रार्थीगण

मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 182/2022 एवं 38/2022 ब उनवानी रामचन्द्र बनाम अमर चन्द व अन्य को अन्यत्र सक्ष्म न्यायालय में स्थानान्तरित करने बाबत।

उपस्थित –

1. श्री बंशीधर जाट अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से
2. श्री के॰ के॰ पारीक अधिवक्ता अप्रार्थी 2 की की ओर से ।

निर्णय दिनांक 03.12.2024

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी जोबनेर के समक्ष प्रकरण संख्या 182/2022 एवं 38/2022 ब उनवानी रामचन्द्र बनाम अमर चन्द व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।

2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। उपखण्ड अधिकारी जोबनेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से अधिवता श्री के के पारीक ने उपस्थित होकर वकालतनामा व शीघ्र सुनवाई का प्रार्थना पत्र पेश किया ।

3. पत्रावली में नियत दिनांक 03.12.2024 को बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि प्रार्थी द्वारा जबाब दावा पेश किये जाने के उपरान्त भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जबाब दावा का अवलोकन किये ही उक्त वाद में दिनांक 21.02.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी कर कुर्रेजात रिपोर्ट बनाने के आदेश पारित कर दिये गये। प्रार्थी द्वारा दिनांक 21.02.2024 के आदेश के विरूद्व एक अपील राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर के समक्ष दिनांक

जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)

Scanned with OKEN Scanner

06.05.2024 को उनवानी अमर चन्द व अन्य बनाम रामचन्द्र व अन्य पेश की गई। अपील पेश होने के उपरान्त अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा बार बार अपीलीय न्यायालय के विरूद्व एक मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश कर उक्त अपील में किसी प्रकार की कोई अग्रिम कार्यवाही नहीं होने दे रहा है तथा अपील में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को भी तलब नहीं होने दे रहा है तथा अपील में न तो बहस कर रहे है ना ही स्थगन बहस कर रहे है। दिनांक 6.11.2024 को भी न्यायालय परिसर में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा प्रार्थी को कहा गया कि दिनांक 13.11.2024 को वाद में अन्तिम निर्णय डिक्री पारित हो जायेगी । क्योंकि हमारी साहब से बातचीत हो चुकी है और प्रकरण में फैसला हमारे मनमाफिक होगा। दिनांक 6.11.2024 को प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को यह भी अवगत कराया गया कि कुर्रेजात रिपोर्ट न तो प्रार्थी की उपस्थिति में तैयार नहीं किये गये ना ही प्रार्थी को सुनवाई का कोई अवसर दिया गया तथा कुर्रेजात रिपोर्ट केवल अप्रार्थी संख्या 2 के कहे अनुसार ही तैयार की गई है। अप्रार्थी संख्या 2 जो कि एक राजनैतिक पहुंचावाला व्यक्ति है जो धनबल व बाहूबल में अधिक है तथा अपनी राजनैतिक पहुंच व धन बल के चलते अप्रार्थी संख्या 1 को अपने प्रभाव में ले रखा है तथा अप्रार्थी संख्या 1 के दिनांक 06.11.2024 के व्यवहार से भी साफ दर्शित हो रहा है कि अप्रार्थी संख्या 1 अप्रार्थी संख्या 2 के प्रभाव व प्रलोभन में है । इस कारण प्रार्थी को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की कोई उम्मीद नहीं है। अतः उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता ने उक्त तर्को का खण्डन करते हुये दलील प्रस्तुत की कि प्रार्थीगण प्रकरण का निस्तारण नहीं होने देना चाहते है इसलिए काल्पनिक, मिथ्या व मनघढन्त आरोप लगा कर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र को खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. अधीनस्थ पीठासीन अधिकारी से अपनी टिप्पणी में प्रार्थीगण द्वारा लगाये गये आरोपों का खण्डन किया है। प्रार्थी ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों के समर्थन में कोई ठोस सबूत पेश नहीं किया है। प्रार्थी ने केवल कयास के आधार पर यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है, जो सही नहीं है। इस सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टान्त मोहन सिंह बनाम दलपत सिंह 1984 RRD 501, राधेलाल बनाम बसन्ती लाल 1986 RRD-18 एवं मुरलीधर बनाम रामस्वरूप 1980 RRD (NSU) 61 में भी यह माना गया है कि मात्र कयास के आधार पर प्रकरण को मुन्तकिल किया जाना न्यायोचित नही है। उभय पक्ष को गौर से सुनने एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर यह परिलक्षित होता है कि दौराने सुनवाई पीठासीन अधिकारी द्वारा प्रकरण में ऐसी कोई कार्यवाही किया जाना नहीं पाया गया है, जिससे प्रकरण को अन्यत्र न्यायालय में मुन्तकिल किया जावे। प्रार्थीगण

जिला कलक्टर
जालोर (राजस्थान)

Scanned with OKEN Scanner

द्वारा मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में लगाये गये आरोपों की पुष्टि नहीं होती है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्त्र कायदा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जोबनेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

9. निर्णय आज दिनांक 03.12.2024 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(डॉ॰ जितन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर
जयपुर (ग्रामीण)